


फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

रखतमा देवी बनाम इन्द्राज

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 175 सन-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का लागूत में जारी हुए
02.08.2022	<p>वकील सायल ने यह प्रार्थना -पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णाय क्षति का विन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान /अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 11/9 की कुल 3.5420हैक् भूमि गैरसायलान के नाम दर्ज है में से विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीख पेशी तक नहीं किया जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं यह स्थगन आदेश भूमि पैमाईश व खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नहीं होगा प्रार्थन वा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 29.09.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सह) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर</p>	
29/9/2022	<p>वकील सायल (अर्थात्) प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की ओर से वकील जोदारा ने वकील सायल को पेश किया जो मूल जज के कारिल ही पत्रावली नम्बर 175 के अन्तर्गत दिनांक 29/11/2022 को पेश हो।</p>	
29/11/22	<p>एकुलिय करिये उपस्थित। जवाब हेतु समय चाला पत्रावली नम्बर 175 के अन्तर्गत दिनांक 22/11/2022 को पेश हो।</p>	
22/12/22	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. महान् ... पत्रावली दि. 09/12/22 को पेश हो।</p>	

23 ⁰¹/₂₃

प्राचीनग्रन्थसंग्रह उपस्थित। प्राचीनग्रन्थ की ओर
से प्राचीन-पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली
तारीख पेशी में ली गई। प्राचीनग्रन्थ ने
प्राचीन-पत्र में निवेदन किया कि बादशुमि
पर हमारा राजीनामा ही चुकाई। मूल-बाद
खारिज होने के कारण प्राचीन-पत्र धार
212 का कोई औचित्य नहीं है। इस
कारण प्राचीन-पत्र खारिज किया जाता
है। पत्रावली नम्बर में कम होकर
दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अभिधान

पत्रावली